इकाई 20 राजनीतिक दलीय व्यवस्थाएँ

इकाई की रूपरेखा

20.0 उद्देश्य
20.1 प्रस्तावना
20.2 दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति
  20.2.1 मानव प्रकृति सिद्धान्त
  20.2.2 परिवेश सम्बन्धी स्पष्टीकरण
  20.2.3 हित सिद्धान्त
20.3 अर्थ और प्रकृति
20.4 राजनीतिक दलों के कार्य
20.5 दलीय व्यवस्थाओं के प्रमुख प्रकार
  20.5.1 एक-दलीय व्यवस्था
  20.5.2 दो-दलीय व्यवस्था
  20.5.3 बहु-दलीय व्यवस्था
  20.5.4 दो-दलीय बनाम बहु-दलीय व्यवस्थाएँ
20.6 दलीय व्यवस्था की आलोचना
20.7 क्या दल-रहित लोकतन्त्र सम्भव है?
20.8 सारांश
20.9 शब्दावली
20.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें
20.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

20.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्, आप :

- दलीय व्यवस्थाओं की उत्पत्ति का पुनः स्मरण कर सकेंगे;
- राजनीतिक दलों के अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कर सकेंगे;
- राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार की दलीय प्रणालियों का उल्लेख कर सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार की दलीय प्रणालियों के गुण-दोष का मूल्यांकन कर सकेंगे; तथा
- लोकतन्त्र में दलीय प्रणाली की कमियों और उसकी अनिवार्यता का वर्णन कर सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना

राजनीतिशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ, दोनों ही लोकतान्त्रिक राजव्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका के महत्व से भली-भान्ति परिचित हैं। जैसा कि फ़ाईनर का कहना है, "लोकतन्त्र की आशाएँ तथा शंकाएँ दलीय प्रणाली पर ही आधारित हैं।" वास्तव में, लोकतन्त्र विभिन्न परस्पर विरोधी विचारों को स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर प्रदान करता है, जिसे "बहुल-विचारों का परस्पर विरोध" भी कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में, राजनीतिक दल विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन होते हैं। अतः दल-व्यवस्था लोकतन्त्र की अनिवार्यता है। दलों के अभाव में, मतदाता न केवल भ्रमित रहेंगे वरन् छोटे-छोटे अणु जैसे टुकड़ों में विभक्त हो जायंगे। ऐसे में विभिन्न विचारों को क्रमिक रूप ही नहीं दिया जा सकेगा। इसलिए, दल-व्यवस्था आवश्यक है ताकि जनमत को स्पष्ट किया जा सकेगा और उस पर शासन का ध्यान केन्द्रित किया जा सके। राजनीतिक दल ही वे मुद्दे तैयार करते हैं जिन्हें जनता के समक्ष रखकर जनादेश प्राप्त किया जा

सके। अतः, तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी और रोचक है कि वे दल-व्यवस्था की उत्पत्ति, अर्थ, प्रकार तथा गुण-अवगुणों का ज्ञान प्राप्त करें।

20.2 दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति

राजनीति शास्त्रियों ने दल-व्यवस्था की उत्पत्ति की अनेक व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। इन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है, जिनपर आगे चर्चा की जा रही है:

20.2.1 मानव प्रकृति सिद्धान्त

इस श्रेणी में दल-व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में तीन स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम, सर हेनरी मेन जैसे विद्वानों का विचार है कि दलों की उत्पत्ति का मूल कारण मानव की झगड़ालू (संघर्ष की) प्रकृति में निहित है। दूसरे शब्दों में, अपने कठोर परस्पर-विरोधी विचारों को संगठित अभिव्यक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से मनुष्य दल बनाते हैं।

मानव प्रकृति सिद्धान्त से संबंधित दूसरी श्रेणी के अनुसार लोगों की मानसिक प्रवृत्ति (temperament) राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न लोगों की अलग-अलग प्रवृत्तियाँ उन्हें अलग-अलग राजनीतिक दलों की स्थापना के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग स्थापित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में हैं उन्हें राजनीतिक विभाजन-रेखा के दक्षिण पंथी कहा जाता है। दूसरी ओर, जो लोग व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के पक्षधर होते हैं वे प्रायः वामपंथी कहलाते हैं। अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं वे स्वयं को एक दल के रूप में संगठित कर लेते हैं, और जो परिवर्तन-विरोधी हैं वे दूसरा दल बना लेते हैं।

दलों की उत्पत्ति से सम्बन्धित मानव प्रकृति का तीसरा स्पष्टीकरण यह है कि दलों की उत्पत्ति राजनीतिक नेताओं के चमत्कारी व्यक्तित्त्व के कारण भी हो सकती है। जनसाधारण को अपने विचारों को स्पष्टता एवं क्रमबद्धता प्रदान करने के लिए उचित नेतृत्त्व की आवश्यकता होती है। अतः दलों की उत्पत्ति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसा नेतृत्त्व उपलब्ध हो जोकि प्रभावी और गतिशील हो तथा जो जनसाधारण को लक्ष्य-प्राप्ति की दिशा में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित कर सके।

20.2.2 परिवेश सम्बन्धी स्पष्टीकरण

उपरोक्त विचारों के अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में काफ़ी तथ्य उपलब्ध हैं कि पार्टी व्यवस्था के विकास में सामाजिक-आर्थिक परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए आधुनिक लोकतान्त्रिक दल-व्यवस्था कम से कम दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का परिणाम है। ये हैं: (क) निरंकुश राजतन्त्र में राजाओं की शक्तियों को सीमित किया जाना; तथा (ख) मतदान के अधिकार को व्यापक और सार्वभौमिक रूप देकर समस्त वयस्क जनता को प्रदान करना। अतः, यह स्वाभाविक है कि दलों की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि में, राजा की शक्ति को सीमित करने के लिए विधायिका द्वारा किया गया संघर्ष, तथा मतदान के आधार को विस्तृत बनाने के प्रयास शामिल हैं। वर्ष 1680 तक ब्रिटिश राजनीति, राजा और संसद दोनों के ध्यानाकर्षण का केन्द्र बन चुकी थी। तब राजतन्त्र की असीमित शक्तियों का विरोध करने वालों को व्हिग (Whig), तथा राजतन्त्र के समर्थकों को टोरी (Tory) कहा गया। यही आगे चलकर क्रमशः उदार, या लिबरल पार्टी तथा अनुदार अर्थात् कन्ज़र्वेटिव पार्टी बन गए।

20.2.3 हित सिद्धान्त

ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऊपर वर्णित सभी स्पष्टीकरण आंशिक रूप से सत्य हैं, फिर भी किसी एक को पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए मानव की झगड़ालू, या संघर्ष की, प्रकृति मानव व्यवहार का एक पक्ष मात्र है। उसी प्रकार, किसी राजनीतिक नेता की

राजनीतिक प्रवृत्ति तथा उसकी गतिशीलता का कोई निश्चित कारक नहीं हो सकता है। इन स्पष्टीकरणों की कमियों के कारण दलों की उत्पत्ति के 'हित सिद्धान्त' का प्रवर्तन किया गया है। इस सिद्धान्त को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। इस सिद्धान्त का आधार यह मान्यता है कि राजनीतिक दलों की स्थापना विभिन्न हितों के लिए होती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल, व्यक्तियों तथा समूहों के हितों की अभिव्यक्ति की सशक्त एजेंसियाँ हैं। किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियाँ जिन हितों से प्रेरित होती हैं वे उन हितों की प्रकृति और विस्तार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हितों का विकास मानव के सांस्कृतिक परिवेश पर भी निर्भर करता है। किसी व्यक्ति-विशेष का जन्म, उसकी शिक्षा तथा अनुभव उसके हितों का निर्धारण करते हैं; और फिर यही उसके दल-सम्बन्धों का निर्धारण भी करते हैं।

'हित-सिद्धान्त' आर्थिक हितों के महत्व को मान्यता देता है, जिनके द्वारा व्यक्ति का वह निर्णय प्रभावित होता है जिसके अनुसार वह किसी दल-विशेष या दलों के संगठन का सदस्य बनता है। फिर भी यह सिद्धान्त मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष सम्बन्धी विचारों को स्वीकार नहीं करता। यह सिद्धान्त सामाजिक वर्गों के प्रति समर्पण पर आधारित है। वास्तव में समस्त सामाजिक व्यवस्था को धनवानों (haves) और धनहीनों (have nots) में विभाजित कर देना एक गम्भीर परिवेश को आवश्यकता से अधिक सरल बना देता है। इसलिए सार रूप में यह तर्क दिया जा सकता है कि सामान्यतया मानव

उद्देश्यों की प्राप्ति की आशा होती है।

20.3 अर्थ और प्रकृति

राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने सदस्यों को विधायिका तथा सार्वजनिक पदों पर निर्वाचित करवाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तियों के ये समूह औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, और उनकी अपनी (दल के नाम की) पहचान होती है। यह परिभाषा पर्याप्त रूप से व्यापक है। यह अमेरिका की जानी-मानी पार्टियों, (डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन) या इंगलैण्ड की लेबर तथा कन्ज़र्वेटिव पार्टियों की ही परिभाषा नहीं है। यह सभी उन संगठनों की परिभाषा भी है जो छोटे होते हैं तथा चुनावों में अधिक स्थान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह दल चुनावों के लिए उम्मीदवारों को कार्यकर्त्ता उपलब्ध करवाते हैं, तथा उनके लिए धन की आपूर्ति भी करते हैं। यह परिभाषा इस बात का संकेत है कि पार्टियाँ तीन राजनीतिक रंगभूमियों में पाई जाती हैं। ये इस प्रकार हैं: कोई भी दल लोगों के दिमाग़ों के एक लेबल (label) के रूप में पाया जाता है; एक ऐसा संगठन जो कि सदस्यों को स्वयं में शामिल करता है तथा उम्मीदवारों के लिए अभियान चलाता है; तथा नेताओं का ऐसा समूह जो सरकार की विधायी एवं कार्यपालिका अंगों को संगठित और नियन्त्रित करने का प्रयास करते हैं।

'राजनीतिक दल' के ऊपर बताए गए अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टियों तथा अन्य छोटे और अस्थायी संगठनों में क्या अंतर है। इसी प्रकार, दलों तथा दबाव समूहों का तथा गुटों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, खाद्यान्न मूल्य समिति (**Food Price** committee) अथवा अकाल प्रतिरोध समिति (**Femine Resistance** Committee) जैसे अस्थायी राजनीतिक संगठनों की स्थापना किसी विशेष अस्थायी मुद्दे का समर्थन या विरोध करने के लिए स्थापित की जाती है। दूसरी ओर, राजनीतिक दलों में काफ़ी हद तक स्थायित्व होता है। दूसरे, केवल राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह हैं जिनके द्वार (कम से कम सैद्धान्तिक रूप से) सभी के लिए खुले होते हैं, तथा जिनके हित संकीर्ण नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टियों का उद्देश्य किसी एक विशेष समस्या पर केन्द्रित न होकर सरकार की समस्याओं को सुलझाने से सम्बद्ध होता है। उनके द्वार सब के लिए खुले होते हैं, और वे समाज के अधिक से अधिक सदस्यों एवं वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दल, हित और दबाव समूहों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनका (हित और दबाव समूहों का) उद्देश्य तो केवल अपने सदस्यों के हितों की अभि वृद्धि तक सीमित होता है।

तीसरे, पार्टियों के स्पष्ट और सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए। दलों के उद्देश्य प्रायः तात्कालिक और

अंतिम लक्ष्यों, दोनों का समन्वय होता है। दलों के कार्यक्रमों में कानून और सरकार के विषय में उनके विचार, तथा भविष्य के राजनीतिक रूप के बारे में उनके विचार शामिल होते हैं। प्रत्येक दल अपने राजनीतिक विचारों का प्रचार करता है।

चौथे, दलों के कार्यक्रमों में उन सम्भावित भौतिक उपलब्धियों की भी व्यवस्था होती है जो सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें मिल सकती हैं। वास्तव में, जैसा कि हम भारत में देखते हैं, अधिकांश दल किसी न किसी प्रकार सत्तारूढ़ होना चाहते हैं, चाहे वे प्रचार के लिए यही कहते हैं कि वे सम्प्रदायवाद जैसे दोषों के विरोध पर आधारित विचारधारा के माध्यम से सत्ता में आना चाहते हैं। इस अर्थ में भी राजनीतिक पार्टियाँ, दबाव अथवा हित समूहों से भिन्न होती हैं, क्योंकि हित और दबाव समूहों के तो कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होते जिनका विश्वास प्राप्त करके वे सरकार बनाने के लिए एक-दूसरे का मुक़ाबला करें। इस प्रकार राजनीतिक दल, सामूहिक हितों का समन्वय होता है जोकि सामान्य राजनीतिक नीतियाँ लागू करवाना चाहते हैं। उधर, दबाव समूह तो दलों का समर्थन करने वाली सजीव 'जनता' होती है।

राजनीतिक दलों से भिन्न तथा हित एवं दबाव समूहों की भान्ति 'गुटों' को भी किसी राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित नहीं किया जाता। साथ ही, उनका कोई स्थायी संगठन भी नहीं होता। अतः, गुटों को लोगों का ऐसा समूह कह सकते हैं जो दलों के भीतर रहते हुए किसी संकीर्ण हित की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करते हैं। वे सम्पूर्ण दल को सामूहिक हितों (उदाहरण के लिए चुनाव जीतने) के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं।

चुनावों के समय सामान्य हितों तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की सांविधानिक अपील की जाती है। अतः दल-व्यवस्था, मार्क्सवाद के वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीतिक दल, वर्ग-सीमाओं से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। वे संकीर्ण गुट-हितों से भी ऊपर होते हैं। विचारधाराओं और कार्यक्रमों में अंतर होते हुए भी सभी दल सदैव प्रत्येक मुद्दे पर एक-दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। अतः राजनीतिक दल, समाज के विविध वर्गों के संगठन होते हैं, जो न्यूनाधिक रूप से स्थायी और व्यवस्थित होते हैं। उनका उद्देश्य, संविधान के अनुकूल, उसकी सीमा में रहते हुए, अपने नेताओं का सरकार पर नियन्त्रण प्राप्त करना या बनाए रखना, तथा इस नियंत्रण के माध्यम से अपने सदस्यों को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करवाना होता है।

बोध प्रश्न 1

नोटः क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) दल-व्यवस्था की उत्पत्ति के मानव प्रकृति सिद्धान्त का संक्षेप में विवेचन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) 'राजनीतिक दलों' को परिभाषित कीजिए, तथा दलों और दबाव समूहों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

20.4 राजनीतिक दलों के कार्य

पार्टियाँ, राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो कार्य करती हैं उनके माध्यम से वे लोकतान्त्रिक सरकार में योगदान करती हैं। इन कार्यों को मोटे तौर पर छह श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। **प्रथम**, राजनीतिक दल वर्गीय (sectional) हितों का समन्वय करते हैं, भौगोलिक विभिन्नताओं पर सेतुबंध का कार्य करते हैं, तथा समरूपता एवं एकता लाने का प्रयास करते हैं। अन्य शब्दों में, पार्टियों के माध्यम से विभिन्न हितों का समीकरण किया जाता है। इसके द्वारा समाज और राजनीति व्यवस्थित रहती है।

दूसरे, राजनीतिक दल चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन करके लोकतान्त्रिक सरकार को योगदान देते हैं। दलों के अभाव में, मतदाताओं के समक्ष प्रतिबद्धता-विहीन अनेक उम्मीदवारों का समूह उपस्थित हो जायगा और तब प्रत्येक उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों और अपनी उपलब्धियों के आधार पर मत प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। यह भंयकर स्थिति हो सकती है। राजनीतिक दल विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े कर इस ख़तरे को टाल सकते हैं। वे चुनाव जीतने के लिए अभियान चलाते हैं। यदि कोई प्रत्याशी गरीब हो तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने पर होने वाले खर्च का वहन भी करते हैं।

तीसरे, राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संख्या को कम रखकर, उनकी विजय की सम्भावना को अधिक व्यावहारिक बनाकर एक अन्य प्रकार से भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सहयोग देते हैं। जिन दलों को पिछले चुनावों में अधिक मत मिले होंगे, वे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि अगली बार भी अच्छी संख्या में मत प्राप्त कर जीत सकेंगे। इससे निर्दलीय तथा अन्य ग़ैर-गम्भीर उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार, चुनावों का केन्द्र सुसंगठित राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों तक सीमित हो जाता है। परिणामस्वरूप मतदाताओं के समक्ष चयन करने के लिए व्यावहारिक परिस्थिति होती है और वे तार्किक एवं विवेकपूर्ण निर्णय कर सकते हैं।

चौथे, राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा-पत्रों के माध्यम से विभिन्न वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके मतदाताओं द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य सरल कर देते हैं। किसी भी चुनाव अभियान में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों में थोड़ी-बहुत भिन्नता तो होती ही है। विभिन्न चुनावों में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन के समय परिस्थितियाँ और मुद्दे अलग हो सकते हैं। फिर भी, सामान्यतया विभिन्न दलों के उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए नीतिगत प्रश्न एवं मुद्दे अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों — डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन पार्टियों — के न तो नाम किन्हीं अलग विचारधाराओं की ओर संकेत करते हैं, और न ही वास्तव में उनकी नीतियों में मूलभूत भेद हैं। फिर भी वे दोनों दल, प्रत्येक चुनाव में निरंतर एक-दूसरे से भिन्न कार्यक्रम और मुद्दे पेश करके अधिकाधिक मत प्राप्त करने के प्रयास करते हैं।

इनके अतिरिक्त, पार्टियाँ सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने में भी सहयोग देती हैं। अमेरिका की सरकार, जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, सार्वजनिक नीति के सम्बन्ध में उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है। वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सदन और सीनेट के नेतागण सदा एक-दूसरे से सहयोग करें। शक्ति-पृथक्करण द्वारा बन गई खाई को भरने, समन्वित नीतियाँ तैयार करवाने और देश के शासन को अधिक प्रभावी बनाने के कार्य केवल राजनीतिक दलों के सक्रिय योगदान के द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर, राष्ट्रपति जिस दल का नेता होता है, कांग्रेस के दोनों सदनों में उस दल के नेताओं के साथ उसके सहयोग की सम्भावना अधिक होती है। उधर, इंगलैण्ड एवं भारत जैसे संसदीय लोकतन्त्र व्यवस्था वाले देशों में मन्त्रिपरिषद्, अर्थात् वास्तविक कार्यपालिका की स्थापना, उसका गठन एवं स्थायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि संसद में उसे बहुमत का समर्थन मिलता रहे। सरकार को निर्बाध समर्थन प्रदान करते रहने के लिए सम्बद्ध राजनीतिक दल अपने सांसदों को अनुशासन में रखकर मन्त्रिमंडल को स्थायी और प्रभावी बनाए रखते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दलों की भूमिका इतनी अधिक प्रभावी हो गई है कि लोकतन्त्र में प्रायः उन्हें (बहुमत को) सरकार

का पर्याय मान लिया जाता है, क्योंकि विधायिका की अधिकांश शक्तियों को राजनीतिक दलों ने अपने प्रभाव में ले लिया है।

हालांकि लोकतान्त्रिक चुनावों में विजय प्राप्त करना और अधिक से अधिक सीटों पर क़ब्ज़ा करना प्रत्येक राजनीतिक दल का मूल उद्देश्य होता है, किंतु फिर भी चुनाव में पराजय का अर्थ कभी यह नहीं होता कि पराजित दल समाप्त ही हो गया। ऐसी स्थिति में, अल्पसंख्या में स्थान प्राप्त करने वाला दल, शासन-तन्त्र के दोष उजागर करके सरकार की नीतियों की चौकसी करने का महत्वपूर्ण कार्य करता रहता है। इस प्रकार, सत्ता में या विपक्ष में बने रहकर राजनीतिक दल लोकतन्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ओर वे लोकतान्त्रिक मूल्यों और प्रतिमानों को सशक्त बनाए रखते हैं; तो दूसरी ओर वे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समाज में जागृति लाने और उसे सक्रिय रूप देने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक तथा आर्थिक-सामाजिक विकास दोनों को ही दिशा और गति प्रदान करते हैं।

20.5 दलीय व्यवस्थाओं के प्रमुख प्रकार

लोकतन्त्र में विभिन्न राजनीतिक दल विविध प्रकार के विचारों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं। इसलिए, प्रायः लोकतन्त्र में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। किन्तु व्यवहार में, प्रत्येक देश की अपनी व्यवस्था और परिस्थितियों के अनुसार दलों की संख्या कम या अधिक होती है। उदाहरण के लिए, इंगलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में दो-दलीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि भारत तथा फ्रांस सहित अनेक देशों में बहु-दलीय व्यवस्थाएँ हैं। दूसरी ओर, चीन जैसे साम्यवादी देशों अथवा अधिनायकवादी देशों में एक ही दल होता है। अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न दलीय प्रणालियों की समीक्षा की जाए।

20.5.1 एक-दलीय व्यवस्था

एक-दलीय व्यवस्था का आधार यह है कि किसी देश की जनता की संप्रभु इच्छा का निवास एक नेता तथा उससे सम्बद्ध अभिजन अथवा कुलीन (elite) वर्ग में होता है। यह अधिनायकवादी विचार सबसे पहले कुछ राजतन्त्रों में और फिर तानाशाही देशों में व्यक्त किया गया। परन्तु, हाल में कुछ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएँ भी इस ओर आकर्षित हुई हैं। तानाशाह को सत्ता पर एकाधिकार चाहिए, ताकि कोई उसे चुनौती न दे सके, इसलिए वह (अपने दल के अतिरिक्त) सभी दलों को भंग कर देता है। यद्यपि इन व्यवस्थाओं में भी जनादेश के मुखौटे के रूप में चुनाव करवाए जाते हैं, परन्तु मतदाताओं के समक्ष कोई विकल्प नहीं होता। उन्हें एकमात्र उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करना पड़ता है।

विभिन्न एक-दलीय व्यवस्थाओं की कुछ अपनी विशेषताएँ हो सकती हैं, परन्तु उन सभी की कुछ सामान्य विशेषताएँ होती हैं। ये हैं: (1) ऐसा दल, सरकारी दल होता है, क्योंकि इसका नेता वही व्यक्ति होता है जिसका देश पर तानाशाही शासन होता है, तथा जिसका सत्ता पर एकाधिकार होता है; (2) इस एकमात्र दल का सदस्य बने बिना कोई भी नागरिक किसी महत्वपूर्ण सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है; (3) यह दल लोगों में नेता की विचारधारा की मान्यता सुनिश्चित करता है, और इस कार्य के लिए जनता को "शिक्षित" (indoctrinate) किया जाता है; तथा (4) यह विशिष्ट वर्गीय (अभिजन) व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। एक-दलीय व्यवस्था में पार्टी का कार्य प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों पर मतदाताओं (जनता) की इच्छा को जानना नहीं होता। परन्तु, इसका कार्य लोगों में अनुशासन और आज्ञाकारिता सुनिश्चित करना होता है। इसका संगठन और कार्यविधि राजनीतिक न होकर सैनिक ही अधिक होती है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि एक-दलीय व्यवस्था निश्चित रूप से अधिनायकवादी सिद्ध होती है। सम्बद्ध राजनीतिक व्यवस्था के एकमात्र दल के रूप में इसकी सत्ता सार्वभौमिक होती है। सभी नीतियों का निर्धारण पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही होता है। पार्टी का प्रत्येक आदेश ब्रह्म-वाक्य माना जाता है। पार्टी ही सभी कानूनों का स्रोत होती है, तथा मानवीय एवं सामाजिक जीवन का

कोई भी पक्ष इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अतः, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि, एक-दलीय व्यवस्था में भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस एवं संघ बनाने की स्वतन्त्रता के अधिकारों का दमन कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, समाज और राज्य के मध्य अंतर लगभग समाप्त हो जाता है, तथा समाज को राज्य पूरी तरह अपने अधीन कर लेता है। इस प्रकार के दल की स्थापना 1922 में मुसोलिनी के नेतृत्त्व में इटली में फ़ासी व्यवस्था के साथ हुई थी। मुसोलिनी ने अपनी फ़ासी पार्टी के अतिरिक्त अन्य सभी दलों को भंग कर दिया। जब 1933 में जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया तो उसने भी अपनी नाज़ी पार्टी के अतिरिक्त सभी विरोधियों को समाप्त कर दिया। हिटलर ने 1934 में स्वयं अपनी पार्टी में से अनेक प्रमुख सदस्यों को निकाल दिया, या उन्हें गोली मरवाकर उनकी हत्या करवा दी क्योंकि वे दलीय हित के लिए कार्य नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार, पूर्व सोवियत संघ में मात्र साम्यवादी दल (कम्युनिस्ट पार्टी) को कार्य करने की अनुमति थी, तथा 1936 और 1938 में उसमें से अनेक प्रमुख सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया था।

एक और भी स्थिति है। उत्तर-औपनिवेशिक युग में, अनेक अफ्रीकी-एशियाई देशों में भी "जनता की इच्छा" पर आधारित एक-दलीय व्यवस्थाओं की स्थापना हुई थी। इनमें कुछ प्रमुख देश थेः घाना, केन्या अथवा कीनिया, तन्ज़ानिया, तुर्की, मौक्सिको इत्यादि। तुर्की में तो 1923 से लेकर **1946** तक जनवादी गणतन्त्रीय दल **(People's Republican Party)** ने लोकतन्त्र को नष्ट किए

यूनियन' (TANU) की स्थापना की थी, वह एक-दलीय लोकतन्त्र का एक अन्य अच्छा उदाहरण थी। तन्ज़ानिया में तानू (TANU) ही एकमात्र मान्यता-प्राप्त पार्टी थी किन्तु फिर भी तन्ज़ानिया के मतदाताओं को यह स्वतन्त्रता थी कि वे पार्टी (TANU) के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर सकते थे, क्योंकि पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपने एक से अधिक उम्मीदवार खड़े करती थी। केन्या if, **1969** में सरकार ने एकमात्र विपक्षी दल 'केन्या अफ्रीकन पीपल्स यूनियन' **(Kenya African People's Union)** पर तो प्रतिबंध लगा दिया था, परन्तु इस पार्टी के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था।

इस प्रकार, एक-दलीय प्रणाली को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। (1) अधिनायकवादी (तानाशाही) एक-दलीय व्यवस्था; तथा (2) ग़ैर-अधिनायकवादी एक-दलीय व्यवस्था। परन्तु, समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि सभी एक-दलीय प्रणालियाँ तानाशाही प्रवृत्ति की होती हैं। एक दलीय प्रणाली अपनी ही प्रकार के दर्शन और जीवन-शैली की घोषणा करती हैं और समस्त समाज को उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। जैसा कि बार्कर का कहना है, "एक-दलीय व्यवस्था की लोकतान्त्रिक आलोचना केवल उद्देश्यों की आलोचना नहीं, जीवन की समस्त प्रक्रिया की आलोचना है।" वास्तव में, सत्ता पर एक ही दल का एकाधिकार (monopoly) समस्त सभ्यता के लिए एक गम्भीर ख़तरा है।

20.5.2 दो-दलीय व्यवस्था

दो-दलीय (या द्विदलीय) व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें केवल दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं और जिन्हें जन-समर्थन प्राप्त होता है, तथा जिनसे सत्ता संभालने की अपेक्षा की जाती है। इस व्यवस्था में भले ही कुछ अन्य छोटे दल भी हो सकते हैं, परन्तु उनकी भूमिका न होने के बराबर होती है। इस व्यवस्था में, किसी भी समय-विशेष पर, निर्वाचन के फलस्वरूप दोनों में से एक दल को बहुमत प्राप्त होता है, तथा वह सरकार का गठन करता है। दूसरा दल अल्पमत में होने के कारण विपक्ष की भूमिका निभाता है। इस व्यवस्था में छोटे दलों के होने के बावजूद, सत्ता पर दो प्रमुख दलों में से एक का ही अधिकार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंगलैण्ड दो-दलीय व्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। अमेरिका में ये दल हैं; डेमोक्रेटिक पार्टी तथा रिपब्लिकन पार्टी। इंगलैण्ड में सरकार का निर्माण लेबर पार्टी (श्रमिक दल) तथा कन्ज़र्वेटिव पार्टी (अनुदार दल) में से एक दल करता है।

हालांकि यह सही है कि इंगलैण्ड और अमेरिका की दो-दलीय व्यवस्थाओं में भी अंतर है। इंगलैण्ड के दोनों राजनीतिक दल भले ही प्रगतिशील हैं, और समय के अनुसार स्वयं को ढालते रहने वाले

हैं किन्तु फिर भी इन दोनों दलों में स्पष्ट वैचारिक भिन्नता है। उधर, अमेरिका के दोनों दलों में कोई विशेष वैचारिक भेद नहीं है; उनके कार्यक्रमों में चुनाव को जीतने की दृष्टि से फेर-बदल होते रहते हैं। इन विभिन्नताओं को देखते हुए, दो-दलीय व्यवस्था की भी दो श्रेणियाँ हो सकती हैं — (1) अस्पष्ट (indistinct) दो-दलीय व्यवस्था (जैसी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है) तथा (2) स्पष्ट (distinct) दो-दलीय व्यवस्था (जिसका उदाहरण इंगलैण्ड है)।

20.5.3 बहु-दलीय व्यवस्था

बहु-दलीय व्यवस्था में तीन या उससे भी अधिक प्रमुख राजनीतिक या स्पष्ट दल होते हैं, जिनमें सत्ता के लिए संघर्ष चलता है, परन्तु किसी भी एक दल को प्रायः पूर्ण (absolute) बहुमत नहीं मिल पाता। यह प्रणाली, स्थानीय विशिष्टताओं के साथ, भारत, फ्रांस, स्विट्ज़रलैण्ड, जर्मनी, इटली इत्यादि अनेक देशों में पाई जाती है।

सरकार के स्थायित्व की दृष्टि से बहु-दलीय व्यवस्था के दो वर्ग हो सकते हैं। (क) अस्थायित्व वाली बहु-दलीय प्रणाली (unstable multi-party system) तथा (ख) कार्यकारी बहु-दलीय प्रणाली (Working Two-Party System)। जैसा कि नाम से *8* स्पष्ट है, प्रथम वर्ग की व्यवस्था स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाती है। भारत की वर्तमान स्थिति, जिसमें बार-बार त्रिशंकु लोक सभा (Hung Parliament) चुनी जा रही है, प्रथम वर्ग का अच्छा उदाहरण है। भारत **if 1996-99** की अवधि में तीन प्रधानमन्त्रियों के नेतृत्त्व में चार सरकारों की स्थापना हुई। तीसरे और चौथे गणतंत्र की अवधि में फ्रांस में निरंतर सरकारें बनती और गिरती रहीं। इटली भी बहु-दलीय व्यवस्था का एक अन्य उदाहरण है जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी एक दल को संसद में बहुमत नहीं मिला है।

दूसरी ओर, कार्यकारी (Working) बहु-दलीय व्यवस्था में भी अनेक दल होते हैं, परन्तु उनके गठबंधन प्रायः दो विकल्प प्रस्तुत करते हैं, इसमें सरकार को स्थायित्व भी प्राप्त होता है। भूतपूर्व जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरकारी पार्टी बनने से पूर्व द्वि-दलीय प्रणाली में तीन पार्टियों में से दो पार्टी मिलकर हमेशा सरकार बनाती थी और सोशल डेमोक्रेट्स हमेशा विपक्ष में रहते थे। जर्मनी के दो गठबंधन काफ़ी स्थायी सरकारें दे सके हैं। इसी प्रकार नॉर्वे, स्वीडन, बेल्ज़ियम तथा इज़राइल में भी बहु-दलीय प्रणाली में अधिक अस्थिरता नहीं पाई जाती।

20.5.4 दो-दलीय बनाम बहु-दलीय व्यवस्थाएँ

लोकतन्त्र उतना ही सफलतापूर्वक बहु-दलीय प्रणाली में कार्य करता है जितनी द्वि-दलीय प्रणाली में। फिर भी प्रत्येक प्रणाली के कुछ गुण-अवगुण तो होते ही हैं। बहु-दलीय व्यवस्था के समर्थकों के तर्क है कि: (क) भारत जैसे बहुल समाज में जनमत की भिन्नताओं को अधिक भली-भान्ति केवल बहु-दलीय व्यवस्था में अभिव्यक्त किया जा सकता है; (ख) यह विविध हित समूहों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व और उनकी संतुष्टि करती है; (ग) इस व्यवस्था में, दो-दलीय व्यवस्था की अपेक्षा, मतदाताओं के समक्ष उम्मीदवारों तथा दलों के रूप में अधिक विकल्प होते हैं; (घ) इसमें बहुमत की मनमानी करने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है; तथा (च) यह व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक लचीली है क्योंकि इसमें समूहों का संगठन, उनका एकीकरण तथा पृथकीकरण समयानुसार अधिक आसानी से हो सकता है।

सैद्धान्तिक रूप से भले ही बहु-दलीय व्यवस्था के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है, फिर भी वास्तविकता कुछ और ही है। जैसा कि हमने स्वयं भारत में ही देखा, किसी भी दल को संसद में बहुमत न मिलने के कारण मिली-जुली (साझी) सरकारों का बार-बार गठन करना पड़ा। मन्त्रिपरिषद् के सदस्य, प्रधानमन्त्री से निर्देश लेने की अपेक्षा अपने दलीय नेताओं से दिशा-निर्देश माँगते हैं। यही नहीं, छोटी-छोटी बात पर छोटे (एक सदस्य वाले दल तक) दल, सरकार से समर्थन वापस ले लेने की धमकी देते रहते हैं। आश्चर्य नहीं कि, सरकार को शासन चलाने के लिए समय नहीं मिल पाता क्योंकि सहयोगी दलों को प्रसन्न रखना ही एक मुख्य कार्य बन जाता है। यह कार्य बहुधा राष्ट्रीय

हित की अनदेखी करके करना पड़ता है। साझी सरकार का नेतृत्त्व करने वाला बड़ा दल प्रायः इस बात के लिए विवश हो जाता है कि वह बहुमत जुटाने के लिए अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन तथा अपनी नीतियों के साथ समझौता करे। इस तरह की सरकार की नीतियाँ विभिन्न दलों की नीतियों की खिचड़ी होती है, जिसके कारण मतदाताओं और सरकार के बीच खाई उत्पन्न हो जाती है।

इन सब प्रयासों के बावजूद, साझी (coalition) सरकारें बड़ी आसानी से गिर जाती हैं, क्योंकि इनमें शामिल विभिन्न दल कुछ न कुछ माँग करते ही रहते हैं, और छोटी-सी बात पर समर्थन वापस ले लेते हैं। भारत में 1997 में काँग्रेस (आई) के समर्थन वापस लेने पर पहले देवेगौडा सरकार और फिर गुजराल सरकार गिर गई। वाजपेयी सरकार को 1999 में अन्ना द्रमुक द्वारा समर्थन वापस ले लेने पर पराजय का मुँह देखना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में बार-बार चुनाव करवाना देश पर भीषण बोझ ड़ालता है। ऐसा भी होता है कि बहु-दलीय व्यवस्था में संगठित विपक्ष का अभाव हो जाता है और यह अनुमान नहीं लगाया जा पाता कि सरकार गिरने के बाद कौन-कौन से दल मिलकर सरकार बनाएँगे। एक और दोष यह भी है कि मतदाताओं के लिए यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि वे किसके पक्ष में मतदान करें। आम नागरिक पार्टियों की भीड़ से घबरा जाता है। अतः लास्की ने बहु-दलीय व्यवस्था को सरकार के लिए घातक (fatal) कहा था।

दूसरी ओर, दो-दलीय व्यवस्था के समर्थकों का तर्क है कि इसमें मतदाता परेशान नहीं होते, क्योंकि उनके समक्ष दो ही विकल्प होते हैं जिनमें से किसी एक के पक्ष में मत देकर वे स्थायी सरकार की स्थापना में सहयोग देते हैं। **दूसरे**, सत्तारूढ़ (बहुमत प्राप्त) दल को किसी की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसलिए वह अपनी नीतियों को दृढ़तापूर्वक लागू कर सकता है। इससे सरकार प्रभावी होती है। **तीसरे**, चूँकि दोनों दल जानते हैं कि उन्हें अप्रतिबद्ध (non-committed) मतदाताओं के मत प्राप्त करने के प्रयास करने के लिए दूसरे दल के कुछ समर्थकों को भी अपनी ओर आकर्षित करना होता है इसलिए दोनों ही दल एक-दूसरे को अंकुश में रखते हैं, और दोनों में से कोई भी अतिवादी नहीं हो पाता। **चौथे**, लोकतन्त्र में जनमत का विशेष महत्व होता है, और दो ही दलों की उपस्थिति से सभी मुद्दों पर विवाद और विचार-विमर्श के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध होती है। जैसा कि लास्की का विचार है लोकतन्त्र की सफलता के लिए "दो बड़े दलों के परस्पर-विरोधी विचारों की अभिव्यक्ति से राजनीतिक व्यवस्था अधिक सक्षम होती है।"

परन्तु, दो-दलीय व्यवस्था को स्थायित्व का कुछ मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। इस प्रणाली का आधार है कि देश में केवल दो ही विचारधाराएँ हैं। वास्तव में किसी भी जागरूक समाज में अनेक विचार और मत होते हैं जोकि राजनीतिक विचार और चर्चा में उभर कर सामने आते हैं। यह दो-दलीय व्यवस्था में सम्भव नहीं है। इस व्यवस्था में कुछ बनावटीपन दिखाई देता है। जनमत की अभिव्यक्ति में निहित स्वार्थ उभर कर सामने आ जाते हैं। अमेरिकी लूट पद्धति (spoils systems) इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अतिरिक्त, दो-दलीय व्यवस्था में विधायिका की शक्तियों का ह्रास होता है, तथा मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो जाती है। संसद में विशाल बहुमत से समर्थित सरकार प्रायः मनमानी करने लगती है।

बहु-दलीय एवं दो-दलीय दोनों व्यवस्थाओं के गुण-दोष का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी देशों के लिए किसी एक ही व्यवस्था की सिफ़ारिश करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। प्रत्येक देश के ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में ही यह निश्चय किया जा सकता है कि किस देश के लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी। समस्त विश्व को ब्रिटिश या अमरीकी व्यवस्था पर आधारित नहीं किया जा सकता है। किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का विशेष महत्व होता है। स्कैन्डिनेवियन देशों में बहु-दलीय व्यवस्थाएँ राजनीतिक संस्कृति का अंश होने के कारण सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

बोध प्रश्न 2

नोटः क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की भूमिका की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) विभिन्न राजनीतिक दलीय-व्यवस्थाओं के गुण-दोषों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

20.6 दलीय व्यवस्था की आलोचना

लगभग सभी देशों में, किसी न किसी कारण से, दलीय व्यवस्था की आलोचना की जाती है। प्रथम, आरोप यह है कि राजनीतिक सत्ता के लिए निरंतर चलने वाला संघर्ष, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके, विधायिका को रणभूमि में परिवर्तित कर देता है। दूसरे, फ़िज़ूल के मुद्दे उठाकर राजनीतिक दल प्रायः महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्नों से जनता का ध्यान हटाकर राजनीति का अहित करते हैं। तीसरे, दल स्वायत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे चुनाव जीतने के उद्देश्य से, सिद्धान्तों और राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करने लगते हैं। चौथे, कई बार राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय महत्व के राजनीतिक मुद्दों को स्थानीय चुनावों के मुद्दे भी बना देते हैं। पाँचवें, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में सफलता दिलवाने के पुरस्कार के रूप में नियुक्त करके सिद्धान्तों का बलिदान कर दिया जाता है, **तथा लूट प्रथा (spoils system)** को बढ़ावा मिलता है। छठे, "दलीय भावना प्रायः नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देती है," क्योंकि दलीय हित के समक्ष सिद्धान्तों का बलिदान कर दिया जाता है। सातवें, पार्टियाँ चुनाव अभियान के लिए जिन लोगों से धन एकत्र करती हैं जीतने के पश्चात् उन्हें उन लोगों के पक्ष में आवश्यक-अनावश्यक सभी प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अंतिम, दलों का संचालन प्रायः कुछ नेतागण अपने गुटों (cliques) की सहायता से करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जन-इच्छा को हताश होना पड़ता है।

20.7 क्या दल-रहित लोकतन्त्र सम्भव है?

अनेक आलोचनाओं के बावजूद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक लोकतन्त्र के लिए राजनीतिक दल नितांत आवश्यक हैं। यदि लोकतन्त्र जनता की सरकार है तो राजनीतिक दलों को अनिवार्य संस्थाओं के रूप में स्वीकार करना ही होगा। पार्टियाँ जनादेश प्राप्त करने के समकालीन मुद्दे निश्चित करती हैं। वे इस प्रकार के जनमत और विचारों की अभिव्यक्ति के राजनीतिक तन्त्र का कार्य सम्पादित करती हैं। पार्टियाँ विभिन्न वर्गों के बीच की आर्थिक और भौगोलिक दूरी को कम करती हैं, तथा सार्वजनिक नीति निर्धारण में आम सहमति लाने का प्रयास करती हैं। इसके

अतिरिक्त, राजनीतिक मुद्दों को जन-साधारण के समक्ष प्रस्तुत करके वे शिक्षक की भूमिका भी निभाती हैं। राजनीतिक दल उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं। यह कार्य, सरकार के कार्य पर लगातार आलोचनात्मक दृष्टि रखकर विपक्षी दल पूरा करते हैं। इस प्रकार, राजनीतिक दल एकमात्र ऐसा साधन हैं जिनके द्वारा प्रभुसत्ता-सम्पन्न जनता सरकार पर नियन्त्रण रखती है। केवल दलों के माध्यम से ही सरकारों को सांविधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीकों से बदला जा सकता है। इसीलिए तो अमरीकी संविधान निर्माताओं की इच्छा और अपेक्षा के विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसकी स्थापना के कुछ ही वर्षों के भीतर, राजनीतिक दल स्थापित हो गए थे। अतः दलों के अभाव में लोकतन्त्र चल ही नहीं सकता। स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण जैसे कुछ भारतीय नेताओं का दल-रहित लोकतन्त्र का आह्वान अव्यावहारिक और असम्भव है।

बोध प्रश्न 3

नोटः क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) दलीय व्यवस्था के दोषों का विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) यह स्पष्ट कीजिए कि दल-रहित लोकतन्त्र क्यों सम्भव नहीं है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

20.8 सारांश

राजनीतिक दल ऐसा संगठन होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति तथा व्यक्ति-समूह राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि वे सत्तारूढ़ होने में सफल हो जाते हैं तो वे अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को वास्तविक रूप देने की चेष्टा करते हैं। दलों की उत्पत्ति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। इनमें मानव की झगड़ालू (संघर्ष करने की) प्रकृति, उनके स्वभाव-सम्बन्धी मतभेद, गतिशील एवं प्रगतिशील नेतृत्व, राजतन्त्र को सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों के द्वारा सीमित किया जाना, तथा सार्वभौमिक मताधिकार का चलन और लोगों के परस्पर-विरोधी हित प्रमुख कारण माने जाते हैं।

दलीय व्यवस्थाएँ आम तौर पर तीन प्रकार की हैं — (1) एक दलीय व्यवस्था (या प्रणाली), (2) दो दलीय व्यवस्था, तथा (3) बहु-दलीय व्यवस्था। एक-दलीय व्यवस्था प्रायः ग़ैर-लोकतान्त्रिक होती है। उधर, दो-दलीय और बहु-दलीय व्यवस्थाओं के अपने गुण और दोष होते हैं। इसलिए

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति ही यह निर्धारित करती है कि उस देश के लिए कौन-सी दलीय व्यवस्था उपयुक्त होगी। दलीय व्यवस्था में अवश्य कुछ दोष हैं, फिर भी लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल ही मतदाताओं को सरकार के साथ सम्बद्ध करते हैं।

20.9 शब्दावली

राजनीतिक दल/पार्टी : एक ऐसा समूह जो सरकार पर नियंत्रण कर सत्ता में आने के लिए कार्यशील होता है।

दलीय व्यवस्था : विभिन्न दलों की ऐसी व्यवस्था जो देश के कानूनों के अनुसार कार्यान्वित होती है।

अधिनायकवादी व्यवस्था : जहाँ एक ही दल को बने रहने और शासन करने का अधिकार होता है और जहाँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्र को नष्ट कर दिया जाता है।

राजनीतिक संस्कृति : राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों पर लोगों के व्यवहार, विचारों, मूल्यों, विश्वासों एवं दृष्टिकोणों का योग।

20.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

M. Duverger, *Political Parties* (New York: Wiley, 1954)

Jean Blondel, *An Introduction to Comparative Government* (London: Weidenfed and Nicolson, 1969)

S.E. Finer, *Comparative Government* (London: Allen Lane, The Penguin Press, 1970)

H. Eckstein and David E. Apter, *Comparative Politics,* (London, 1963)

Roy C. Macridis and Bernard Brown, *Comparative Politics* (Dorsey, 1964)

Amal Ray and Mohit Bhattacharya, *Political Theory: Ideas and Institutions* (Calcutta : The World Press, 1994) Chapter 27.

20.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) तीन प्रकार के स्पष्टीकरण दिए जाते हैं: (क) लोगों की झगड़ालू प्रवृत्ति — लोग अपनी इस प्रवृत्ति के कारण अलग-अलग दल बनाते हैं; (ख) लोगों के अलग-अलग दृष्टिकोण उनके विभिन्न विचार एवं आस्थाएँ उन्हें उनके जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ मिलकर पृथक दल बनाने के लिए प्रेरित करती हैं; (ग) किसी चमत्कारी व्यक्ति का नेतृत्व जिसके पीछे लोग एकत्र हो जाते हैं।

2) राजनीतिक दल लोगों का संगठित समूह होता है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है। दबाव समूह अपने हितों की अभिवृद्धि करते हैं, परन्तु वे न ही चुनाव लड़ते हैं और न सत्तारूढ़ होते हैं।

बोध प्रश्न 2

1) राजनीतिक दल वर्गीय हितों में एकता स्थापित करते हैं। वे चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करके लोकतन्त्र के प्रति योगदान करते हैं; वे राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वे शासन करते हैं या फिर विपक्ष में बैठकर सरकार को उसके दोष बताते हैं।

2) एक दलीय प्रणाली अक्सर तानाशाही प्रणाली होती है यह प्रणाली लोगों की स्वतन्त्रता नष्ट करती है। दो-दलीय प्रणाली जनता के समक्ष दो विकल्प पेश करती है और स्थायित्व प्रदान करती है। परन्तु इसमें अन्य विचारों को पनपने का अवसर नहीं मिलता। बहु-दलीय व्यवस्था में विभिन्न विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त किए जाते हैं, परन्तु स्थायित्व नहीं होता।

बोध प्रश्न 3

1) विधायिका को रणभूमि बना देते हैं; राजनीतिक दलों के सिद्धान्तों एवं राष्ट्रीय हितों का प्रायः बलिदान कर दिया जाता है; नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया जाता है; बड़ी धनराशि एकत्र करके चुनाव लड़े जाते हैं; परन्तु इससे भ्रष्टाचार पनपता है।

2) राजनीतिक दल स्वतन्त्र लोकतन्त्र सरकार की गारन्टी होते हैं; वे सामाजिक वर्गों के मतभेद दूर करते हैं और प्रशासन को उत्तरदायी बनाते हैं।